



क्षेत्रीय कार्यालय

भीमि
150
YEARS OF
CELEBRATING
THE MARBLE ERA

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर - 341001 (राज.), ई-मेल-rorpcb.nagaur@gmail.com

RPCB/RO NGR/PUB-139/ 1789 -1793

Date: 19/12/22

Sh. Ramji Granite,

R/o- Makrana Road, Harnava Marble ke Pass, village- Borawar,

Tehsil- Makrana, Distt.- Nagaur (Raj.)

Email- graniteramji@gmail.com

Sub.:- Public Hearing for 'Granite Mining Cluster,' (M.L. No. 09/2019, M.L. No. 124/2019 and M.L. No. 125/2019) with total cluster Area 6.2603 Hectare & proposed production capacity of cluster 6,43,158 TPA (ROM) applied by 'Granite Mining Project' **Bhanwarlal S/o Sh. Mangilal Jat, Partner & Authorized Signatory of M/s Ramji Granite**, (M.L. 09/2019, Ref. No. 20192100003067), area 2.0345 Hectare, Khasra no.- 1698, 1998/1698, 1999/1698, with Proposed Production Capacity 1,49,175 TPA (ROM), located at near village- Alniyawas, Tehsil- Riyanbadi, District- Nagaur, Rajasthan.


Ref.:- Office of district collector, Nagaur letter no. 7302 dated 13.12.2022

Sir,

In reference to above please find enclosed a public notice to be published in one major national daily news paper (All editions) and one regional daily news paper (Hindi-All editions) in any case on or before **24.12.2022**. The news paper cutting are to be submitted to this office for further necessary action to conduct public hearing at **Bharat Nirman Rajeev Gandhi Seva Kendra (I.T. Center), Village- Alniyawas, Tehsil- Riyanbadi, District- Nagaur** At **11.00 AM** on **24/01/2023** for the environmental clearance of your project.

You are also requested to make available copies of EIA/EMP report and executive summary report in Hindi and English (with soft copies also) at various offices as mentioned in the public notice and receipt of same shall be submitted in this office.

Yours sincerely,


(Savita)
Regional Officer

Copy to following for information & necessary action:-

1. The Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur.
2. District Collector, Nagaur in compliance to your letter no 7302 dated 13.12.2022.
3. The Additional District Magistrate, Nagaur.
4. Analyst Cum Programmer, RPCB, Jaipur to display public notice on website of the State Board.


Regional Officer



क्षेत्रीय कार्यालय

भीम
Bhim
150
YEARS OF
CELEBRATING
THE MAKATA



राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर - 341001 (राज.), ई-मेल-rorpcb.nagaur@gmail.com

कमांक:-राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी.-139/


दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आमसूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "ग्रेनाईट माइनिंग क्लस्टर (एम.एल. नं. 09/2019, 124/2019 and 125/2019, Ref. no. 20192100003067), , कुल क्लस्टर क्षेत्र - 6.2603 हेक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 6,43,158 TPA(ROM)" आवेदक श्री भंवरलाल पुत्र श्री मांगीलाल जाट, पार्टनर और रामजी ग्रेनाईट के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, (एम.एल. नं. 09/2019, Ref. no. 20192100003067), क्षेत्र- 2.0345 हेक्टेयर, खसरा नं.- 1698, 1998/1698, 1999/1698 अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 1,49,175 TPA(ROM) गांव-आलनियावास, तहसील- रियांबड़ी, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि रामजी ग्रेनाईट, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-
 1. जिला कलक्टर, नागौर।
 2. CEO जिला परिषद् नागौर।
 3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
 4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
 5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
 6. उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी।
 7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
 8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
 9. ग्राम पंचायत, आलनियावास।
 10. भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) गाँव-आलनियावास, तहसील-रियांबड़ी, जिला-नागौर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज.सु.2022/7302 दिनांक 13.12.2022 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 24.01.2023 (मंगलवार) को प्रातः 11:00 बजे, स्थान- भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) गाँव-आलनियावास, तहसील-रियांबड़ी, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते हैं।

भवदीय

(सविता)
क्षेत्रीय अधिकारी